सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

देवेन्द्र सिंह बनाम भूपेन्द्र सिंह

किस्म मुकद्मा– 225 आरटीए नम्बर 53/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.09.19	अभिभाषक अपीलांट श्री करण सिंह उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। अभिभाषक अपीलांट की पत्रावली पर बहस सुनी गई। दौराने बहस रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तरफ से श्री राजेश बैद ने वकालतनामा पेश करते हुए बहस सुनने का कथन किया गया। ऐसी स्थिति पत्रावली में पत्रावली पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24–09–2019 को पेश हो।	
24.09.19	अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन यिका कि वादग्रस्त भूमि चक 3 एसएमडब्ल्यूएम तहसील छत्तनगढ़ के खाता सख्या 27/24 के मुरब्बा नम्बर 201/53, 201/54, 201/55, 205/56, 201/61, 201/62, 201/63, 201/64, 221/05, 221/06 कुल 116 बीघा नहरी भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि में अपीलांट का 1/4 हिस्सा दर्ज है तथा शेष रही भूमि बाबत् अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8 की माता अमरजीत कौर ने अपने जीवनकाल में वाग्रस्त भूमि में अपने 1/2 हिस्सें की वसीयत दिनांक 17–08–2012 को अपीलांट के नाम कर दी गई। अपीलांट की माता अमरजीत कौर का दिनांक 25–11–2018 को स्वर्गवस हो चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट वादग्रस्त भूमि का 3/4 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने बाबत् दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र सरसरी तौर पर अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। चूंकि अपीलांट वादग्रस्त भूमि के 3/4 हिस्से का अधिकारी है। लिहाजा प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांटके पक्ष में साबित है। दौराने अपील यदि वादग्रस्त भूमि को अन्य व्यक्ति को हस्तान्करण किय गया अथवा मौके की स्थिति में	

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया तो अपीलांट को अपरणीय क्षति कारित होगी। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थित कायम रखी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि चूंकि वादग्रस्त भूमि के बाबत् अपीलांट द्वारा वसीयत के आधार पर पर अपना हक व हकूक मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुतम किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड के आधार पर अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। चूंकि पक्षकारों के मध्य वसीयत को लेकर संभागीय आयुक्त, बीकानेर के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है। जब तक वसीयत के आधार पर पक्षकारों के मध्य हक व हकूक निर्धारित नहीं हो जाते तब तक अपीलांट के वादग्रस्त भूमि पर अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। अतः बिना विधिक अधिकारों के व राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर अपीलांट वादग्रस्त भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिमि में वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं है। अतः अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमया जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2003 पार्ट I पेज 650 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील के मद संख्या 1 में वसीयत का उल्लेख किया है। जिस पर विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने तहसीलदार के निर्णय का हवाला देते हुए वादग्रस्त भूमि के बाबत् किसी प्रकार का स्थगन जारी करने का विरोध किया है। परीक्षण न्यायालय ने भी अपने एक पक्षीय आदेश में इसी वसीयत के आधार पर प्रकरण न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर के समक्ष विचाराधीन होना जाहिर किया है। पत्रावली के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी संवत् 2071–74 के अनुसार वादग्रस्त भूमि में अमरजीत कौर का 1/2 हिस्सा निहित है। ऐसी स्थिति में पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व तथ्यों के

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं है ना ही वादग्रस्त भूमि के बाबत् सुविधा का संतुलन बिगड़ने जैसी आपातकालीन स्थिति प्रतीत होती है। चूंकि वादग्रस्त भूमि के बाबत् वसीयत के आधार पर प्रकरण संभागीय आयुक्त, बीकानेर के समक्ष विचाराधीन होना जाहिर किया गया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(सत्यवीर सिंह)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner